कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com
Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— / FP/UK/RAIL/34889/2018 :देहरादून:दिनांकः 28 जून, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः—जनपद रूद्रप्रयाग में 126 कि0मी0 ऋषिकेश—कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 1.5205 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/RAIL/34889/2018)

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 07 / 18 / 2019 / एफ0सी0 / 103 दिनांक 22—04—2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :—

1. शर्त सख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.00 है0 Rudraprayag Reserve Compartment 1 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु देय धनराशि रू0 5,57,330.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 10,06,565.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—1)**
4. शर्त संख्या—4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 15,63,895.00 के Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—2)**
5. शर्त संख्या—5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण—पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—3)**
6. शर्त संख्या—6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Digital map of temporary muck dumping site की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक—4)**
7. शर्त संख्या—7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—5)**
8. शर्त संख्या—8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षरित NPV calculation sheet की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—6)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करना चाहें।

<u>संलग्न—यथोपरि</u>

भवदीय,

28/6/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या— / FP/UK/RAIL/34889/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।

28/6/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी